—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 28/2020

उनवान

1. इब्राहिम
2. महबूब
3. याकूब
4. रहमत
5. हबीब
6. सलीम् पि. बहादुर समस्त जाति चीता निवासी ग्राम डूगांजी का बाडिया, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवकता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :— जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :—29.10.21

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादीगण ने उत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम डूंगाजी का बाडिया प.म. राजोसी में वादीगण की खातेदारी आाजी स्थित हे जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
4172	6—15—0	5401	1.00
		5402	0.09
4169/1	24—17—0	5400	0.89
		5400/5669	0.01

उक्त आराजी वंर्किग खसरा नमबर 4172 के हाल खसरा नम्बर 5401 व 5402 वादीगण की खातेदारी की है। वंर्किग खसरा नम्बर 1469/1 रकबा 24—17—0 के हाल खसरा नम्बर 5400, 5400/5669 चरागाह है। वादीगण अपनी खातेदारी आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। साबिक खसरा नम्बर 4172 में वादीगण का चाह भी स्थित है। बंदोबस्त विभाग ने हाल राजस्व अभिलेख में अपने अधिकारों से परे जाते हुये त्रुटिपूर्ण तरीके से हाल खसरा नम्बर 5400/5669 में चाह को अंकित कर दिया। अतः उक्त चाह को हाल खसरा नम्बर 5400/5669 रकबा 0.01 से हटाकर हाल खसरा 5401 रकबा 1.00 व 5402 रकबा 0.09 में अंकन किया जावे। पुराने खसरा नम्बर 4172 के हाल खसरा नम्बर 5401, 5402, 5403, 5413, 5414, 5416 की पूर्व उत्तर दिशा से परिवर्तित कर दक्षिण दिशा की गलत लाईन को दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.04.04 10:57:02 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से प्रकरण में मोका रिपोर्ट तलब की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज. पेरोकार की बहस पर मनन किया। वंर्किग खसरा नमबर 4172 के हाल खसरा नम्बर 5401 व 5402 वादीगण की खातेदारी की है। वंर्किग खसरा नम्बर 1469/1 रकबा 24–17–0 के हाल खसरा नम्बर 5400, 5400/5669 चरागाह है। वादीगण का कथन है कि हाल खसरा नम्बर 5400/5669 रकबा 0.01 पूर्व में उसकी खातेदारी में था, जिसे हाल राजस्व अभिलेख में चरागाह दर्ज कर दिया गया है। किन्तु पूर्व राजस्व अभिलेख वंर्किग जमाबंदी में भी वादीगण की खातेदारी आराजी में चाह अंकन नही है। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त मौका रिपोर्ट में भी वादीगण की खातेदारी आराजी पर कोई चाह स्थित नही है। हाल खसरा नम्बर 5400/5669 चाह का इन्द्राज मौका रिपोर्ट अनुसार सही है। वादीगण ने वाद में संशोधन कर हाल खसरा नम्बर पुराने खसरा नम्बर 4172 के हाल खसरा नम्बर 5401, 5402, 5403, 5413, 5414, 5416 की पूर्व राजस्व नक्शा स्थित में परिवर्तित कर दक्षिण दिशा की गलत लाईन को दुरूस्त करने का कथन किया है किन्तु मौका रिपोर्ट अनुसार वादीगण की खातेदारी आराजी का राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने से किता 45 खसरा नम्बर प्रभावित होगे। उक्त आराजी के खातेदार वाद में पक्षकार मुर्तिब नही है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्व मानचित्र अथवा किसी भी प्रकार के प्रकरणों में हितबद्व व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित नही है। वादीगण ने ने हाल खसरा नम्बर 5401 के आस–पास के समस्त खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। उक्तानुसार पक्षकारों के कुसंयोजन व वाद पत्र में अंकित अस्पष्ट तथ्यों के कारण वादीगण वर्तमान राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती के अधिकारी नही है।

ग्राम डूंगाजी का बाडिया के हाल खसरा नम्बर 5401 रकबा 0.01 व 5402 रकबा 0.09 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.04.04 10:57:02 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

इब्राहिम बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88 188 राज. का. अधि0 1955, 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 128/2020
पेश करने की दिनांक – 04.03.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

डूंगाजी का बाडिया के हाल खसरा नम्बर 5401 रकबा 0.01 व 5402 रकबा 0.09 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 10 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.04.04 10:57:02 IST
Reason: SelfAttested